APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट– कंवलियास

जानन्द पिता लादूराम ब्राह्मण निवासी– कंवलियास बनाम बरदीचन्द पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी– कंवलियास

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2 ए जा.दी. प्रकरण संख्या–22/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील उपभपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूनी जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी के अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अन्त में कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करने से उसे अधिक से अधिक सजा से दण्डित फरमाया जावें। जबकि वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी चाहा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र की कार्यवाही खारिज फरमायी जावें। मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। प्रकरण में वादग्रस्त चाहा आराजी नम्बर– 230 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध रिट पिटिशन प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन होकर इस न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखा गया हैं ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में न्यायालय किसी प्रकार का कोई विवेचन किया जाना न्यायसंगत नही समझता है, लिहाजा इस प्रकरण की कार्यवाही बन्द की जाती है। प्रत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें, आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया। (नन्दकिशोर राजोरा) सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner